संख्या-20/2016/831/60-2-16-2/3(1)11 टीसी-।।

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग-2 लखनऊः दिनांक 31 मार्च, 2016

विषयः- प्रदेश में गर्भवती महिलाओं एवं अतिकुपोषित बच्चों में कुपोषण की रोकथाम हेतु गर्म पका-पकाया भोजन देने की व्यवस्था सम्बन्धी ट्रायल कार्यक्रम के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत ही है कि सितम्बर, 2015 में वजन दिवस अभियान चलाकर 14 लाख से अधिक अतिकुपोषित बच्चों का चिन्हांकन किया गया तथा जनवरी और फरवरी 2016 में सभी जनपदों में मातृत्व सप्ताह का आयोजन किया गया, जिसमें 01 लाख से अधिक हाईरिस्क की गर्भवती महिलायें (High Risk Pregnancy-HRP) चिन्हित की गयी।

2. गर्भवती महिलाओं के पोषण स्तर में सुधार कर कुपोषण की समस्या को कम किया जा सकता है। अतएव गर्भवती महिलाओं एवं 07 माह से 03 वर्ष के अतिकुपोषित बच्चों (लाल श्रेणी) को आंगनबाड़ी केन्द्रों पर प्रतिदिन गर्म पका-पकाया भोजन तथा 03 वर्ष से 06 वर्ष के अतिकुपोषित बच्चों (लाल श्रेणी) को सांयकाल घर पर ग्रहण करने हेतु स्नैक्स व मौसमी फल देने का निर्णय लिया गया। उल्लेखनीय है कि 03 से 06 वर्ष के बच्चों को आंगनबाड़ी केन्द्रों पर गर्म पका-पकाया भोजन देने की व्यवस्था पूर्व से ही विद्यमान है।

3. इस फीडिंग कार्यक्रम के उद्देश्य निम्न हैं:-

अतिकुपोषित बच्चों हेतु संचालित फीडिंग कार्यक्रम के उद्देश्य		**गर्भवती महिलाओं हेतु संचालित फीडिंग कार्यक्रम के उद्देश्य**	
1	कैलोरी-प्रोटीन एवं माइक्रोन्यूट्रियन्ट के गैप की भरपाई	1	भोजन का सम्बन्धित गर्भवती महिला द्वारा ही (न कि पूरे परिवार द्वारा) खाया जाना
2	ग्रोथ चार्ट के माध्यम से कार्यक्रम के फलस्वरूप आये सुधार की नियमित ट्रैकिंग	2	आंगनबाड़ी केन्द्रों पर गर्भवती एवं धात्री महिलाओं के पंजीकरण की संख्या/स्थिति में सुधार लाना
3	परिवार एवं समुदाय आधारित परामर्श सत्रों का आयोजन	3	कैलोरी-प्रोटीन गैप की भरपाई करना
4	वी0एच0एन0डी0 के दिन उनके स्वास्थ्य का परीक्षण और टीकाकरण कराना	4	गर्भवती एवं धात्री महिलाओं को आयरन की 100 गोलियां खिलाना सुनिश्चित करना
		5	एनीमिया से ग्रसित/कुपोषित गर्भवती एवं धात्री महिलाओं की संख्या में कमी लाना

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

		6	कम वजन के बच्चों के जन्म की दरों में कमी लाना एवं इस प्रकार बच्चों में अतिकुपोषण को नियन्त्रित करना
		7	नियमित परामर्श सत्रों तथा वी0एच0एन0डी0 के माध्यम से प्रसव-पूर्व एवं प्रसव-पश्चात प्रबंधन की गुणवत्ता में सुधार लाना

4. उक्त फीडिंग कार्यक्रम का नियमित रूप से वित्तीय वर्ष 2016-17 में प्रदेश के समस्त आंगनबाड़ी केन्द्रों पर राज्य सरकार द्वारा संचालित किया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिए विस्तृत दिशा-निर्देश अलग से निर्गत किये जायेंगे, तथापि उपरोक्तानुसार प्रस्तावित फीडिंग कार्यक्रम का ट्रायल दिनांक 11 अप्रैल, 2016 से 30 अप्रैल, 2016 के मध्य 13 कार्यदिवसों में किया जाना है, ताकि ट्रायल से प्राप्त अनुभव के आधार पर प्रदेशव्यापी कार्यक्रम संचालन हेतु आवश्यक निर्देश निर्गत किये जा सकें। ट्रायल कार्यक्रम के आरम्भ की तिथि जिलाधिकारी द्वारा नियत की जायेगी।

5. फीडिंग कार्यक्रम का जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी द्वारा गोद ली गयी दो-दो ग्राम सभाओं एवं संलग्नक-1 के अनुसार प्रत्येक मण्डल के एक जनपद के एक विकास खण्ड के सभी आंगनबाड़ी केन्द्रों में किया जायेगा।

अभीष्ट फीडिंग कार्यक्रम ट्रायल हेतु निम्न निर्देश निर्गत किये जाते हैं:-

1. फीडिंग कार्यक्रम ट्रायल के अन्तर्गत भोजन पकवाने और आच्छादित लाभार्थियों को भोजन कराने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित ग्राम प्रधान तथा आंगनबाड़ी कार्यकत्री का होगा।
2. कार्यक्रम के संचालन हेतु प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र हेतु समीपवर्ती सी0बी0एस0 (कोर बैंकिंग सिस्टम) बैंक ब्रान्च में ''अतिरिक्त फीडिंग ट्रायल निधि'' के नाम से एक बचत खाता खोला जायेगा जिसका संचालन सम्बन्धित ग्राम प्रधान एवं सम्बन्धित आंगनबाड़ी कार्यकत्री द्वारा संयुक्त हस्ताक्षरों से किया जायेगा।
3. 7 माह से 6 वर्ष के अतिकुपोषित बच्चों हेतु फीडिंग कार्यक्रम का ट्रायल किया जायेगा। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार निदेशालय, उ0प्र0 के पत्र संख्या- सी 1296/बा0वि0परि0/हाट कुक्ड फूड योजना-01/2014-15, दिनांक 10-10-2014 द्वारा निर्गत निर्देशों के क्रम में उक्त आयु वर्ग के अन्तर्गत 7 माह से 3 वर्ष एवं 3 वर्ष से 6 वर्ष तक के बच्चों हेतु संचालित होने वाले फीडिंग कार्यक्रम ट्रायल की आहार-तालिका (मेन्यू) संलग्नक-2 पर संलग्न है, जो निम्न आधार पर है:-

तालिका-1

7 माह से 3 वर्ष के अतिकुपोषित बच्चे।	आई0सी0डी0एस0 की हाट-कुक्ड योजना के मेन्यू के अनुसार गर्म पका-पकाया भोजन व मौसमी फल
3 से 6 वर्ष के अतिकुपोषित बच्चे।	स्नैक्स (सायंकाल घर पर ग्रहण करने हेतु) व मौसमी फल

4. गर्भवती महिलाओं के पंजीकरण के उपरान्त प्रसव से पूर्व आंगनबाड़ी केन्द्रों तक उक्त महिलाओं के आने की स्थिति होने तक फीडिंग कार्यक्रम ट्रायल संचालित किया जायेगा। गर्भवती महिलाओं को बेसिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित मध्यान्ह भोजन योजना के मेन्यू के अनुसार गर्म पका-पकाया भोजन कराया जायेगा। मध्यान्ह भोजन योजना में बुधवार के दिन बच्चों को दिया जाने वाला दूध गर्भवती महिलाओं को नहीं दिया जायेगा। उक्त के आलोक में गर्भवती महिलाओं को खिलाने वाले भोजन की दैनिक आहार-तालिका (मेन्यू) संलग्नक-3 पर संलग्न है। उक्त के

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

साथ ही मध्यान्ह भोजन योजना में लागू मेन्यू जो शासनादेश संख्या-1490/79-6- 2015 दिनांक 02-12-2015 के माध्यम से निर्धारित है, की प्रति भी संलग्नक-4 पर एवं प्रतिदिन मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत दिये जाने वाले भोजन की दरों का अनुमानित विवरण संलग्नक-5 पर संलग्न है।

5. गर्भवती महिलाओं को केन्द्र पर भोजन कराने के पश्चात् एक लाल आयरन की गोली भी खिलायी जायेगी और साथ में आयरन की गोली खिलाने के लाभ के बारे में गर्भवती महिलाओं को जानकारी भी दी जायेगी। आयरन की गोली उपलब्ध कराने तथा उसको गर्भवती महिलाओं को ग्रहण कराने का दायित्व स्वास्थ्य विभाग का होगा।
6. गर्म पके-पकाये भोजन के अतिरिक्त फीडिंग कार्यक्रम ट्रायल के अन्तर्गत अतिकुपोषित बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं को एक मौसमी फल यथा केला आदि भी खिलाया जायेगा।
7. भोजन में आयोडाइज्ड नमक का ही प्रयोग अनिवार्यतः किया जायेगा।
8. आंगनबाड़ी केन्द्रों पर फीडिंग कार्यक्रम ट्रायल का समय मध्यान्ह 12 से अपरान्ह 01 बजे के मध्य होगा।
9. अतिकुपोषित बच्चों के भोजन हेतु दर रू0 7/- प्रति लाभार्थी एवं गर्भवती महिलाओं हेतु रू0 18/- प्रति लाभार्थी होगी। उक्त दरों में रू0 3/- प्रति लाभार्थी फल हेतु होगा। उक्त दरों के आधार पर प्रति लाभार्थी भोजन की लागत का विवरण निम्नवत् है:-

तालिका-2

07 माह से 3 वर्ष तक के अति कुपोषित बच्चों हेतु गर्म पके-पकाये भोजन की दर

भोजन का प्रकार	मात्रा(प्रति लाभार्थी)	अनुमानित दर (रूपये में)
हाट कुक्ड मील में दिये जाने वाले भोजन की मात्रा के आधे के अनुरूप भोजन + 5 ग्राम खाने का तेल	संलग्नक-2 में अंकित मात्रा की आधी मात्रा + 5 ग्राम खाने का तेल	1.75 + 0.50 = 2.25
खाने का तेल (अनुपूरक पोषाहार में मिलाने के लिए)	15 ग्राम	1.50
मौसमी फल यथा केला आदि	01	3.00
योग		6.75

तालिका-3

3 वर्ष से 6 वर्ष तक के अति कुपोषित बच्चों हेतु सायंकालीन स्नैक्स की दर

स्नैक्स का प्रकार	**मात्रा(प्रति लाभार्थी)**	**अनुमानित दर (रूपये में)**
मुरमुरा चना/ग्लूकोज बिस्किट आदि	हाट कुक्ड मील योजना के अन्तर्गत स्नैक्स की मात्रा में से रू0 2/- प्रति लाभार्थी की सीमा के आधार पर अनुपातिक मात्रा	2.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

खाने का तेल (अनुपूरक पोषाहार एवं अपने घर पर खाने में मिलाने के लिए)	20 ग्राम	2.00
मौसमी फल यथा केला आदि	01	3.00
योग		**7.00**
नोटः- उपर्युक्त वर्णित स्नैक्स 3 से 6 वर्ष के अति कुपोषित बच्चों को उनके आंगनबाड़ी केन्द्रों से प्रस्थान के समय उपलब्ध करा दिया जायेगा। बच्चों द्वारा यह स्नैक्स सायंकाल अपने घर पर ग्रहण किया जायेगा।		

तालिका-4

गर्भवती महिलाओं हेतु गर्म पके-पकाये भोजन की दर

भोजन का प्रकार	**भोजन का दिन**	**मात्रा (प्रति लाभार्थी)**	**अनुमानित/औसत दर (रूपये में)**
रोटी एवं सोयाबीन युक्त सब्जी	सोमवार	संलग्नक-4 के अनुसार	संलग्नक-4 के अनुसार
चावल-दाल	मंगलवार	संलग्नक-4 के अनुसार	संलग्नक-4 के अनुसार
तहरी एवं दही	बुधवार	संलग्नक-4 के अनुसार	संलग्नक-4 के अनुसार
रोटी-दाल एवं दही	बृहस्पतिवार	संलग्नक-4 के अनुसार	संलग्नक-4 के अनुसार
तहरी एवं दही	शुक्रवार	संलग्नक-4 के अनुसार	संलग्नक-4 के अनुसार
चावल-सोयाबीन युक्त सब्जी	शनिवार	संलग्नक-4 के अनुसार	संलग्नक-4 के अनुसार
मौसमी फल यथा केला आदि	प्रतिदिन	01	

उक्त दरों के अन्तर्गत आवश्यकतानुसार परिवर्तन अनुमन्य होगा जिसे जिलाधिकारी की अनुमति से किया जा सकेगा, किन्तु लाभार्थीवार भोजन की कुल औसत दर की अधिकतम सीमा में परिवर्तन अनुमन्य नहीं होगा।

10. भोजन पकाने हेतु मध्यान्ह भोजन योजना के अन्तर्गत उपलब्ध विद्यालय के रसोईघर का प्रयोग किया जायेगा। यह ग्राम प्रधान के विवेक पर निर्भर होगा कि सम्बन्धित गांव के समस्त आंगनबाड़ी केन्द्रों का भोजन एक साथ विद्यालय के रसोईघर में पकाया जाये अथवा पृथक-पृथक। किन्तु विद्यालय के रसोईघर में कई आंगनबाड़ी केन्द्रों का भोजन पकने की स्थिति में भी पका हुआ भोजन सम्बन्धित आंगनबाड़ी केन्द्र ले जाकर लाभार्थियों को भोजन केन्द्र पर ही कराया जायेगा।
11. भोजन पकाने का दायित्व आंगनबाड़ी सहायिका का होगा।
12. आंगनबाड़ी केन्द्रों पर पूर्व से उपलब्ध बर्तनों को भोजन कराने हेतु उपयोग में लाया जायेगा।
13. भोजन पकाने हेतु राशन, सब्जी, मसालों, तेल आदि का क्रय स्थानीय बाजार से किया जायेगा। तेल एवं मसालों की विशिष्टियां हॉट कुक्ड मील एवं मध्यान्ह भोजन योजना में लागू विशिंष्टियों के अनुरूप होंगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

14. प्रत्येक आंगनबाड़ी केन्द्र द्वारा अतिकुपोषित बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं की सूची बनायी जायेगी एवं उसके अनुसार लाभार्थियों को भोजन कराया जायेगा।
15. सम्बन्धित ग्राम प्रधानों, बाल विकास परियोजना अधिकारियों, मुख्य सेविकाओं, आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों/सहायिकाओं को फीडिंग कार्यक्रम ट्रायल के पूर्व आवश्यक प्रशिक्षण दिलाया जाना सुनिश्चित किया जायेगा ताकि ट्रायल कार्यक्रम का प्रभावी क्रियान्वयन हो सके।
16. फीडिंग कार्यक्रम ट्रायल पर होने वाले ट्रायल का व्यय विवरण संलग्नक-6 पर संलग्न प्रारूप पर आंगनबाडी कार्यकत्री द्वारा अंकित करते हुए बाल विकास परियोजना अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा अपने विकास खण्ड का संकलित व्यय विवरण जिला कार्यक्रम अधिकारी को उपलब्ध कराया जायेगा। जिला कार्यक्रम अधिकारियों द्वारा संकलित व्यय विवरण निदेशक, आई0सी0डी0एस0, उ0प्र0 को प्रेषित किया जायेगा। ट्रायल कार्यक्रम से सम्बन्धित समस्त बिल/बाउचर बाल विकास परियोजना अधिकारी के कार्यालय में सुरक्षित रखे जायेंगे एवं भविष्य में राज्य पोषण मिशन से सम्बन्धित आडिट की स्थिति में आडिट दल को उपलब्ध कराये जायेंगे।
17. रैन्डम आधार पर भोजन करने वाले बच्चों के माता-पिता एवं भोजन करने वाली गर्भवती महिलाओं तथा ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति के अध्यक्ष/सदस्यों से सूचना ली जायेगी। इस हेतु भोजन करने वाले बच्चों के माता-पिता एवं भोजन करने वाली गर्भवती महिलाओं तथा ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण समिति के अध्यक्ष के फोन नम्बर जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा राज्य पोषण मिशन की ट्रैकिंग वेबसाइट www.suposhanup.in पर इस हेतु बनाये गये प्रारूप पर ट्रायल कार्यक्रम के आरम्भ होने के पूर्व अंकित किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।
18. गोद ली गयी ग्राम सभाओं में संचालित होने वाले ट्रायल कार्यक्रम का स्थलीय सत्यापन सम्बन्धित जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी द्वारा कराया जायेगा एवं तद्सम्बन्धी सूचना अपने हस्ताक्षरों के अन्तर्गत संलग्नक-7 पर उपलब्ध प्रारूप पर अंकित करते हुए उसे www.suposhanup.in वेबसाइट पर अपलोड किया जायेगा साथ ही तद्सम्बन्धी वेबसाइट पर उपलब्ध प्रारूप पर ऑनलाइन भी फीड किया जायेगा।
19. प्रत्येक मण्डल के एक विकास खण्ड में संचालित फीडिंग कार्यक्रम के अनुश्रवण हेतु उस मण्डल के ग्राम सभायें गोद लेने वाले मण्डल स्तरीय अधिकारी एवं उस जनपद के ग्राम सभायें गोद लेने वाले समस्त जनपद स्तरीय अधिकारियों द्वारा ट्रायल रन के प्रत्येक दिन एक आंगनबाड़ी केन्द्र का स्थलीय निरीक्षण कर संलग्नक-7 पर उपलब्ध प्रारूप पर अंकित करते हुए सूचना उक्त प्रस्तर में दिये गये निर्देशों के अनुसार अपलोड व फीड की जायेगी। इस हेतु जिलाधिकारी द्वारा जनपदीय अधिकारियों का एक रोस्टर बनाया जायेगा ताकि ट्रायल के प्रत्येक दिन कम से कम 10 प्रतिशत ग्राम सभाओं के आंगनबाड़ी केन्द्रों पर निरीक्षण अवश्य हो जाये।
20. फीडिंग कार्यक्रम ट्रायल के उपरान्त जिलाधिकारियों द्वारा दिनांक 15.05.2016 तक ट्रायल कार्यक्रम संचालन के सम्बन्ध में संलग्नक-8 में अंकित बिन्दुओं पर अपना फीड बैक निदेशक, आई0सी0डी0एस0/महानिदेशक राज्य पोषण मिशन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

6. उपर्युक्तानुसार किये जाने वाले फीडिंग कार्यक्रम ट्रायल हेतु राज्य पोषण मिशन द्वारा नियमानुसार धनराशि उपलब्ध करायी जायेगी। ट्रायल कार्यक्रम पर सुसंगत वित्तीय नियमों के अधीन किये जाने वाले व्यय का विवरण जिला कार्यक्रम अधिकारी द्वारा जिलाधिकारी के अनुमोदनोपरान्त निदेशक, आई0सी0डी0एस0 को दिनांक 15 मई, 2016 तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा। निदेशक,

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

आईसीडीएस द्वारा नियमानुसार परीक्षणोपरान्त संकलित व्यय विवरण राज्य पोषण मिशन को उपलब्ध कराया जायेगा।

प्रश्नगत कार्यक्रम राज्य सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। अतः इस सम्बन्ध में मुझे आपसे यह कहने की अपेक्षा की गयी है कि कृपया इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का क्रियान्वयन सर्वोच्च प्राथमिकता के आधार पर सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव

संख्या-20/2016/831(1)/60-2-16-2/3(1)11 टीसी-।।, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग, उ0प्र0।
2. प्रमुख सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उ0प्र0 शासन।
3. प्रमुख सचिव, पंचायतीराज, उ0प्र0 शासन ।
4. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
5. महानिदेशक, राज्य पोषण मिशन, उ0प्र0।
6. सचिव, बेसिक शिक्षा, उ0प्र0 शासन।
7. समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।
8. निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0।
9. निदेशक, पंचायतीराज, उ0प्र0।
10. निदेशक, मध्यान्ह भोजन योजना, उ0प्र0।
11. मिशन निदेशक, एन0एच0एम0, उ0प्र0
12. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/मुख्य कार्यकारी अधिकारी, पोषण मिशन, उ0प्र0।
13. समस्त जिला कार्यक्रम अधिकारी, उ0प्र0।
14. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अरूण कुमार मिश्र)
विशेष सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।